फर्द अहकाम

न्यायालयः–सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर जिला सीकर

इन्द्रपाल बनाम मुंशी वगैरह

दीवानी विविध प्रकरण सं. 19/2026 (टीआई)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील
16.03.2026	प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश भातरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश शर्मा उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है। इस आदेशिका द्वारा प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है जिसकी बहस सुनी जा चुकी है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र हेतु न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर अपना विनिश्चय देना है– 1– प्रथम दृष्टया मामला। 2–सुविधा का सन्तुलन। 3–अपूर्णनीय क्षति। उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रमवार न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है– **<u>1– प्रथम दृष्टया मामला</u>** दोनो पक्षों को सुने जाने के पश्चात इस संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या -3 द्वारा अप्रार्थी संख्या-4 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 06.08.2025 को अवैध व शून्य घोषित करने के अनुतोष की प्रार्थना मूल वाद में की है और इसका आधार यह अभिवचित किया है कि इन दोनो विवादित उपहार पत्रों की भूमि प्रार्थी के कब्जे , स्वामित्व की भूमि है, जो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या-1 व 3 को कभी विक्रय नहीं की है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या-1 ता 4 का यह पक्षकथन रहा है कि उक्त विवादित उपहार पत्र की भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार था , जिसने स्वयं भूखण्डों के रूप में इस भूमि को जरिये विक्रय इकरारनामा दिनांक 25.6.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को विक्रय किया था, तब से इस पर अप्रार्थी संख्या-1 व 3 का कब्जा था जिन्होंने इसे अपने निकट रिश्तेदार अप्रार्थी संख्या 2 व 4 को जिरये उपहार पत्र अंतरित किया है। हस्तगत प्रकरण के उभयपक्षों के अभिवचनों से विवादित उपहार पत्र की भूमि का खातेदार मूल रूप से प्रार्थी होना एक स्वीकृत तथ्य प्रकट कृपृउ–––2	

होता है। दोनो पक्षों के मध्य विवाद इस बिन्दू को लेकर है कि क्या इसकी भूमि को प्रार्थी ने जरिये इकरारनामा दिनांक 25.06.2011 को अप्रार्थी संख्या 1 मुंशी, साकीर पुत्र बाबूदीन लुहार को प्रतिफल प्राप्त कर जरिये इकरानामा विक्रय किया है अथवा नहीं?

हस्तगत प्रकरण में यह एक विचारण योग्य सदभाविक प्रश्न अंतर्वलित होना पाया जाता है, जिसका निर्धारण मूल वाद में उभयपक्षों की साक्ष्य अभिलिखित कर निर्णय के माध्यम से ही किया जाना संभव है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 100/-रूपये से अधिक मूल्य की अचल सम्पति का विक्रय पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से ही विधि अनुसार किया जा सकता है। जबकि उक्त इकरारनामा दिनांक 25.06.2011 पंजीकृत हो ऐसा कोई तर्क तक अप्रार्थी पक्ष का नहीं रहा है। ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

2-सुविधा का सन्तुलन।

3-अपूर्णनीय क्षति ।

उक्त दोनो बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला उक्तानुसार प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया गया है तथा विवादित उपहार पत्रों की वैधता का विनिश्चय मूल वाद में किया जाना है। इस कारण यदि अप्रार्थीगण द्वारा इन विवादित उपहार पत्रों की भूमि पर किसी प्रकार का कोई नव निर्माण कर इसे अन्यत्र अंतरित कर दिया जाता है तो इससे अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थी को ही तुलनात्मक रूप से अधिक असुविधा व अपूर्णनीय क्षति होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रार्थी को ऐसे पश्चातवर्ती अंतरिती के विरूद्ध ना चाहते हुए भी मुकदमेंबाजी में रत होना पड़ेगा, जिसकी मुद्रा के रूप में भरपाई संभव नहीं है। अतः दोनो बिन्दू उक्तानुसार आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष तय किये जाते हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151 सीपीसी निम्नप्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

-आदेश-

अतः प्रार्थी इन्द्रपाल की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 व धारा-151 सीपीसी विरूद्ध अप्रार्थी मुंशी व अन्य उपरोक्तानुसार स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रकरण के विवादित उपहार पत्र दिनांक 06.08.2025 के आधार पर इसमें

कृपृउ---3

लगातार---

की विवादित भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति को किसी प्रकार से रहन ,बैय, अंतरित नहीं करें एवं इस पर नव निर्माण नहीं करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(अजय कुमार पूनियां)
सिविल न्यायाधीश, फतेहपुर
जिला सीकर